बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संचिका संख्या–02/विविध–32/2014परि0 1349

आदेश

विभाग के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालयों में ससमय कम्प्यूटर सामग्री यथा– स्मार्ट कार्ड, रिबन इत्यादि की आपूर्ति नहीं करने के कारण आपूर्तिकर्त्ता श्रीवेन इन्फोकॉम प्रा0 लि0 को काली सूची में दर्ज करते हुए उनके सुरक्षित राशि को जब्त कर लिया गया है तथा विभिन्न परिवहन कार्यालयों के आपूरित सामग्रियों की बकाया राशि के भुगतान पर रोक भी लगा दिया गया है।

2. विभिन्न परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटर सामग्री यथा– स्मार्ट कार्ड, रिबन इत्यादि की आपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 2 माह का समय लगने की संभावना है।

3. सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कार्यकलाप बूरी तरह से कुप्रभावित हो रहा है और आमजनों के भीतर भी गहरा असंतोष है। कई स्थानों पर विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस प्रशासनिक कठिनाई को देखते हुए तथा नये सिरे से सामग्री की आपूर्ति शुरू होने में लगने वाले समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हो गई है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम– 16(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत चालक अनुज्ञप्ति (DL) को कागज पर (Paper Mode) में निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। Paper Mode में जो चालक अनुज्ञप्ति (DL) निर्गत होगी वह स्मार्ट कार्ड की तरह फार्म–7 पर निर्गत होगी। Paper Mode में निर्गत होने वाली चालक अनुज्ञप्ति के पृष्ठ भाग पर निम्नांकित निदेशों का उल्लेख रहेगा :–

(क) यह व्यवस्था स्मार्ट कार्ड निर्गत होने तक की वैकल्पिक व्यवस्था है।

(ख) वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर फार्म–7 के अनुसार निर्गत Paper Mode चालक अनुज्ञप्ति मूल रूप में ही मान्य होंगे। इसकी छाया प्रति आदि मान्य नहीं होगी।

(ग) Paper Mode में चालक अनुज्ञप्ति (DL) निर्गत होने की अवधि से अधिकतम 6 (छः) माह की अवधि तक ही वैद्य होंगे।

(घ) स्मार्ट कार्ड बनने के बाद उसे प्राप्त करते समय Paper Mode के चालक अनुज्ञप्ति (DL) को मूल रूप में संबंधितजिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।

इस बीच स्मार्ट कार्ड निर्गत करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं। स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति होने के पश्चात् सभी अनुज्ञप्तिधारियों जिन्हें Paper Mode में चालक अनुज्ञप्ति (DL) दिया गया है, को स्मार्ट कार्ड निर्गत कर दिया जायेगा।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :02/विविध–32/2014 परि0– 1349 /पटना, दिनांक :23/03/2015

प्रतिलिपि : सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/ सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ प्रधान पद्धति विश्लेषक, एन.आई.सी., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :02/विविध–32/2014 परि0– 1349 /पटना, दिनांक : 23/03/2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।